संख्याः 880 /V-1/2021–28(एन0एल0)/2015

प्रेषक,

शैलेश बगौली,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. मण्डलायुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी/कुमायूँ मण्डल, नैनीताल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, देहरादून।
4. उपाध्यक्ष, हरिद्वार–रूडकी विकास प्राधिकरण, हरिद्वार।
5. उपाध्यक्ष, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।

आवास अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 11 दिसम्बर, 2021

विषयः– उत्तराखण्ड नजूल भूमि प्रबन्धन, व्यवस्थापन एवं निस्तारण हेतु नजूल नीति, 2021 प्रख्यापित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि नजूल भूमि राज्य सरकार की सम्पत्ति है और नजूल भूमि के प्रबन्धन और इसके निस्तारण तथा फ्रीहोल्ड किये जाने के सम्बन्ध में समय–समय पर पार्श्वांकित शासनादेशों के अन्तर्गत निर्देश निर्गत किये गये हैं। वर्तमान में मूलतः शासनादेश दिनांकः 01.03.2009 के प्राविधान प्रभावी है, जिसके प्रस्तर–3 में राज्य गठन से पूर्व एवं पश्चात् फ्रीहोल्ड की दरें निर्धारित की गई हैं, जिसमें समय–समय पर संशोधन करते हुए नजूल भूमि को फ्रीहोल्ड करने की दर दिनांकः 10.03.2003 के पश्चात से वर्तमान तक सर्किल रेट दिनांकः 09.11.2000 के आधार पर निर्धारित की गयी है। नजूल भूमि पर अवैध कब्जों को विनियमित करने की तिथि (कट ऑफ डेट) 09.11.2011 अद्यतन प्रभावी है। उक्त प्राविधानों के अधीन जिन आवेदकों के पक्ष में डिमाण्ड नोट (मांग पत्र) निर्गत किया जा चुका है तथा आवेदक द्वारा डिमाण्ड नोट के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि जमा कर दी गयी है, को निस्तारित करते हुए डीड सम्पादित की जायेगी। जिन आवेदकों द्वारा तत्समय निर्धारित आवेदन पत्र के साथ फ्रीहोल्ड हेतु देय धनराशि का 25 प्रतिशत स्वमूल्यांकन के आधार पर जमा कर ट्रेजरी चालान की प्रति संलग्न करते हुए आवेदन पत्र जिस तिथि को जमा किया गया है, तथा अग्रेत्तर कार्यवाही लम्बित है, उन मामलों पर तत्परता से कार्यवाही कर आवेदन जमा करने की तिथि पर निर्धारित दर के अनुसार फ्रीहोल्ड निस्तारण करने की कार्यवाही 06 माह के अन्दर सुनिश्चित की जायेगी। इन प्रकरणों में आवेदककर्ता फ्रीहोल्ड हेतु उपयुक्त न पाये जाने पर उनकी जमा स्वमूल्यांकन धनराशि को वापस करते हुए उनकी बेदखली की कार्यवाही यथा प्रकिया सम्पन्न कर कब्जा प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त मामलों के निस्तारण में विवाद या कठिनाई उत्पन्न होने की स्थिति में शासनादेश दिनांकः 01.03.2009 के प्रस्तर–30 के अधीन यथा मामले शासन को निष्पादन के सुझाव के साथ संदर्भित किये जायेंगे। नजूल भूमि के प्रबन्ध और निस्तारण के सम्बन्ध में विभाग द्वारा की गयी समीक्षाओं में यह पाया गया है कि

1.संख्या 726/श0वि0/आ03.187(आ0)/TC–1 दि0 10.03.2003
2. संख्या 1803/V–आ0/2005–187(आ0)/TC–1 दि0 04.08.2005
3. संख्या 437/V–आ0 2009.01(एन0एल0)/08 दि0 01.03.2009
4. संख्या 761/V–आ0/2009.01(एन0एल0)/08 दि0 29.11.2011
5. संख्या 983/V–आ02011.01(एन0एल0)/08 दि0 22.12.2011

Scanned with CamScanner